तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **नारायण राम चौधरी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां)** सू.अ.अपील संख्या 62 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07–06–24

अपीलार्थी नारायण राम चौधरी निवासी खाबडा खुर्द ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23 / 03 / 2024 में दिनांक 10.08.2022 को मोहनी देवी बनाम नारायणराम पुत्र जेठाराम द्वारा किया गया प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण
जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)